रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2006/माघ 21, 1927
No. 20] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2006/MAGHA 21, 1927

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2006

संख्या 96

फा. सं. 32(1)/98-विधि.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 45 की उप धारा (2) के खण्ड(i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से तथा अधिसूचना 83/2000 दिनांक 01 अगस्त, 2000 की अधीनता में भारतीय खाद्य निगम एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

1. **संक्षिप्त नाम तथा आरंभ** :- (1) यह विनियम भारतीय खाद्य निगम (विभिन्न न्यायालयों, अधिकरणों, प्राधिकारियों तथा मध्यस्थों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले अभिवचनों तथा अन्य दस्तावेजों के सत्यापन हेतु अधिकारियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2005 कहलाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **परिभाषा** :- इन विनियमों में परिभाषा और शब्दों का अर्थ तथा पदों के पदनाम का वही अर्थ होगा जैसा कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में दिया गया है ।

3. **अधिकारियों को प्राधिकृत करना :-** संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट निगम के अधिकारी निगम के प्रमुख अधिकारी होने के नाते ऐसे अधिकारी होंगे जो भारतीय खाद्य निगम की ओर से या उसके विरूद्ध भले ही कथित निगम को उसके अपने नाम से या निदेशक बोर्ड, कार्यकारी समिति, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या निगम में प्राधिकार प्राप्त किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से ऐसी कार्यवाही में उसे एक पक्ष बनाया गया हो, किसी न्यायालय या अधिकरण, प्राधिकारी अथवा मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले वादपत्र, याचिका, प्रार्थनापत्र, अपील, संशोधन, पुनरीक्षा और अन्य कार्यवाहियों पर निगम की ओर से हस्ताक्षर करेंगे तथा उन्हें सत्यापित करेंगे ।

अनुसूची

(देखें विनियम – एल)

1. अध्यक्ष
2. प्रबंध निदेशक
3. कोई भी कार्यकारी निदेशक
4. निगम का सचिव
5. अंचलों में कार्यकारी निदेशक (अंचल)
6. मुख्यालय और आंचलिक कार्यालयों में कोई भी मुख्य महाप्रबंधक
7. मुख्यालय, आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालयों में कोई भी महाप्रबंधक
8. क्षेत्रीय कार्यालयों में कोई भी महाप्रबंधक (क्षेत्र)/उप महाप्रबंधक
9. मुख्यालय, आंचलिक, क्षेत्रीय तथा बंदरगाह कार्यालयों में कोई भी उप महाप्रबंधक
10. मुख्यालय/ आंचलिक/ क्षेत्रीय कार्यालयों में कोई भी सहायक महाप्रबंधक तथा जिला कार्यालयों में क्षेत्र प्रबंधक ।

जावेद यूसुफ ज़ाई, सचिव

[विज्ञापन III/IV/108/2005/असा.]

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2006

No. 96

F. No. 32(1)/98-Legal.— In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government and in submission of the Notification 83/2000 dated 1st August, 2000, the Food Corporation of India makes the following Regulation namely:-

1. **Short Title and Commencement** :- (1) This Regulation may be called the Food Corporation of India (Authorisation of Officers for verification of pleadings and other documents to be filed before various Courts, Tribunals, authorities and arbitrators) Regulations, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions:**- The definitions and meaning of the words and designation of posts in these Regulations shall have the same meaning as contained in Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. **Authorization of Officers**:- The officers of the Corporation specified in the Schedule annexed hereto being the principal officers of the Corporation shall be the officers by whom plaints, petitions, applications, appeals, revisions, reviews any other proceedings before any Court or Tribunal, authorities or arbitrators by or against the Food Corporation of India whether the said Corporation is made a party to such proceedings in its own name or through the Board of Directors, Executive Committee, Chairman, Managing Director or any other officer of authority in the Corporation shall be signed and verified on behalf of the Corporation.

SCHEDULE
(See Regulation L)

1. Chairman
2. Managing Director
3. Any Executive Director
4. Secretary of the Corporation
5. Executive Director(Zone) in the Zones.
6. Any Chief General Manager in Hqrs. and Zonal Offices
7. Any General Manager in Hqrs., Zonal Offices and Regional Offices
8. Any General Manager (Region)/ Dy. General Manager in the Regions
9. Any DGM in Hqrs., Zonal Offices, Regional Offices and Port Operation Offices
10. Any Assistant General Manager in Hqrs./Zonal Offices/Regional Offices and Area Manager in District Offices.

JAVED YUSUF ZAI, Secy.
[ADVT. III/IV/108/2005/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.